भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 5

सोमवार, 21 जुलाई, 2025 / 30 आषाढ़, 1947 (शक)

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना का कार्यान्वयन

***5. श्री विष्णु दत्त शर्मा:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में विशेषकर मध्य प्रदेश में असंगठित कर्मकारों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएमएसवाईएम) नामक पेंशन योजना का कार्यान्वयन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने खजुराहो लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के कटनी, पन्ना और खजुराहो शहर के सभी जरूरतमंद और पात्र लाभार्थियों के बारे में पता लगाया है ताकि उन्हें इस योजना का लाभ दिया जा सके;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस योजना को और अधिक प्रभावी तथा सभी जरूरतमंद लोगों हेतु सुलभ बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री

(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

* *****

"प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना का कार्यान्वयन" के संबंध में श्री विष्णु दत्त शर्मा द्वारा दिनांक 21.07.2025 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 5 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (घ): असंगठित क्षेत्र के कामगारों को वृद्धावस्था संरक्षण प्रदान करने के लिए फरवरी, 2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) योजना शुरू की गई थी। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इस योजना के तहत, असंगठित कामगारों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3000/- रुपये की मासिक सुनिश्चित पेंशन प्रदान की जाती है। 18 से 40 वर्ष की आयु के वे कामगार जिनकी मासिक आय 15000/- रुपये या उससे कम है और जो ईपीएफओ/ईएसआईसी/एनपीएस (सरकारी वित्त पोषित) के सदस्य नहीं हैं, इस योजना में शामिल होने के पात्र हैं। लाभार्थी की प्रवेश आयु के आधार पर मासिक अंशदान की राशि 55/- रुपये से लेकर 200/- रुपये तक होती है। योजना के तहत, लाभार्थी द्वारा 50 प्रतिशत मासिक अंशदान देय होता है और केंद्र सरकार द्वारा समान राशि का अंशदान दिया जाता है। इस योजना में नामांकन सामान्य सेवा केन्द्रों के माध्यम से किया जाता जिसका देशभर में लगभग 4 लाख केन्द्रों का नेटवर्क है। पात्र असंगठित कामगार www.maandhan.in पोर्टल पर जाकर भी स्वयं का नामांकन करा सकते हैं।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) योजना के अंतर्गत 10.07.2025 तक की स्थिति के अनुसार नामांकित लाभार्थियों की संख्या 51,36,578 है (5,06,603 लाभार्थियों के बल्क पंजीकरण सहित)। मध्य प्रदेश राज्य में पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या 1,84,251 है (दिनांक 10.07.2025 तक की स्थिति के अनुसार)।

कटनी, पन्ना और छतरपुर (खजुराहो निर्वाचन क्षेत्र सहित) जिलों में इस योजना के अंतर्गत नामांकित लाभार्थियों की संख्या क्रमशः 4622, 2274 और 3209 है (दिनांक 10.07.2025 तक की स्थिति के अनुसार)।

इस योजना को और अधिक प्रभावी और सुगम बनाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय निम्नानुसार हैं:

(i) राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के साथ आवधिक समीक्षा बैठकें आयोजित करना।

(ii) सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) को पीएम-एसवाईएम में प्रत्येक पात्र व्यक्ति नामांकित करने पर प्रोत्साहन दिया जाता है।

(iii) स्वैच्छिक निकास, रिवाइवल मॉड्यूल, दावा स्थिति और खाता विवरण जैसी नई सुविधाओं की शुरुआत।

(iv) निष्क्रिय खातों की रिवाइवल अवधि को 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष करना।

(v) पीएम-एसवाईएम और ई-श्रम का दो-तरफा एकीकरण।

(vi) जागरूकता उत्पन्न करने के लिए एसएमएस अभियान।

(vii) पीएम-एसवाईएम योजना के तहत नामांकन के संबंध में राज्यों के मुख्य सचिवों को संबोधित करना।

*****